रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 2000/वैशाख 20, 1922

No. 55] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10, 2000/VAISAKHA 20, 1922

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2000

सं. 8/1(1)/99-सी.ई.आर.सी. .—विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन नियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली , 2000 कहा जाएगा ।

(ii) यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

2. नियम 31 और 49 में संशोधन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) नियमावली, 1999 के नियम 31 तथा 49 में जहां भी " सात प्रतियां " आएगा , उसकी जगह " दस प्रतियां " पढ़ा जाए ।

3. नियम 102 में संशोधन

नियम 102 के विद्यमान प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है :-

102 (1) परामर्शी समिति की बैठक कम से कम 6 महीने में एक बार अथवा ऐसे समयान्तराल में और ऐसे स्थान पर जो आयोग द्वारा निश्चित किया जाये, होगी ।

बशर्ते कि परामर्शी समिति की बैठक में परोक्षी हाजिरी देने की अनुमति नहीं होगी ।

फिर बशर्ते कि अध्यक्ष परामर्शी समिति की बैठक की कार्य-सूची से संबंधित किसी मामले पर परामर्शी समिति के सदस्यों को सहायता और सहयोग देने के लिए किसी ऐसे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है , जो परामर्शी समिति का सदस्य न हो ।

(3) आयोग के सचिव परामर्शी समिति के सचिव होंगे ।

(4) सदस्य एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए नियुक्त होंगे , जिसकी अवधि आयोग के विवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है ।

(5) परामर्शी समिति की बैठक में भाग लेते समय सदस्य यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, जो भारत सरकार के सचिव के लिए स्वीकार्य है , के हकदार होंगे ।

बशर्ते कि सदस्य, जो केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित नहीं हैं , प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के अतिरिक्त 3000/- रु0 के मानदेय के हकदार होंगे।

(6) परामर्शी समिति की बैठक के लिए नोटिस और कार्य-सूची, सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले भेज दी जाएगी ।

(7) सचिव, बैठक की कार्यवाही रिकार्ड तैयार करेंगे अथवा उन्हें तैयार करवाएंगे और अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद कार्यवाही रिकार्ड का अनुरक्षण करेंगे ।

(8) कार्यवाही का रिकार्ड परामर्शी समिति के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ।

(9) सदस्यों से अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को , समिति के बैठक की कार्यवाही के रिकार्ड की प्रामाणिक प्रतियां प्राप्त करने लिए आयोग द्वारा निर्धारित फीस के भुगतान किए जाने पर, परामर्शी समिति की बैठक की कार्यवाही के रिकार्ड की एक प्रति भेजी जाएगी ।

4. <u>नियम के प्रकाशन के विवरण</u>

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) नियमावली, 1999 , दिनांक 26.4.1999 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के खंड 4 , भाग - III में प्रकाशित किया गया था और इन नियमों का शुद्धि-पत्र दिनांक 31.5.1999 के भारत के राजपत्र (असाधारण) के खंड 4 , भाग - III में प्रकाशित किया गया था ।

संजीव एस. अहलूवालिया, सचिव

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/150/2000]